



# बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank

सार्वजनिक  
बिक्री/नीलामी सूचना  
(अचल सम्पत्ति हेतु)

## अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन व प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) 2002 के सेक्शन 13(4) के पठित नियम 6(2) एवं/या नियम

### 8(6) एवं या नियम 9(1) अन्तर्गत बैंक में बन्धक रखी अचल सम्पत्तियों की नीलामी सूचना

यह कि बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) 2002 की धारा 13(12) सहपठित नियम 8 व 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में विभिन्न ऋण कर्ता(ओं)/गारन्टी कर्ता(ओं) को मांग पत्र जारी किया गया जिसमें बकाया धनराशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने की मांग की गयी थी।

यह कि निम्नलिखित ऋण कर्ता(ओं)/गारन्टी कर्ता(ओं) बैंक की बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे. अतः एतद्वारा ऋण कर्ता(ओं)/गारन्टी कर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू.पी. बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य ग्रहण कर लिया है जिसका विवरण अधोवर्णित है।

ऋण कर्ता(ओं) को विशेष रूप से तथा और सर्वसाधारण को सामान्यतया सूचित किया जाता है कि इस सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का लेन देन न करें. यह सम्पत्ति बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्रभार के अध्याधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि, ब्याज और अन्य खर्चें देय हैं।

यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋण कर्ता(ओं)/गारन्टी कर्ता(ओं) को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत स्थावर सम्पत्तियों की निविदा/बिड्स/कोटेशन आमन्त्रित करने का निर्णय लिया है. सम्पत्ति की बिक्री "जो है जैसी है" तथा "जहाँ है जैसी है" के आधार पर दिनांक 23.10.2024 को की जायेगी. अतः निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए इच्छुक व्यक्ति अपना टेन्डर बंद निविदा के माध्यम से दिनांक 22.10.2024 तक बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय अमेठी, निकट पीयूष पेट्रोल पम्प, गौरीगंज में प्रस्तुत कर सकते हैं. निविदा दिनांक 23.10.2024 को दोपहर 12.00 बजे बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय अमेठी, निकट पीयूष पेट्रोल पम्प, गौरीगंज में खोली जायेगी.

क्र म	खातेदार का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम	बकाया धनराशि (रु) व अधिग्रहण प्रकार	आरक्षित मूल्य अग्रिम व बोली बढ़ाने की राशि
1	श्री राम दर्शन यादव पुत्र राम अंजोर यादव, ग्राम - गरथोलिया, गौरीगंज, जनपद - अमेठी [शाखा- शाहगढ़]	प्लॉट नंबर 1212 (नया प्लॉट नंबर 1998 बाद चकबंदी) कुलशेत्रफल 0.1370 हे० में से 0.0220 हे. स्थित ग्राम - गरथोलिया ढकहन का पुरवा पोस्ट- टंडवा जनपद अमेठी स्वामित्व - श्री राम दर्शन यादव पुत्र राम अंजोर यादव चौहद्दी: उत्तर- पृथ्वी पाल का प्लॉट, दक्षिण- देश राज का प्लॉट पूर्व- गथौली बरई का पुरवा लिंक रोड, पश्चिम- राम सुन्दर का प्लॉट	रु. 3,57,084.50/- + ब्याज व अन्य खर्चें {(-) रु 22,000/- मांग सूचना के बाद जमा राशि} (अधिग्रहण प्रकार- भौतिक)	आरक्षित मूल्य रु० 11.50 लाख अग्रिम राशि, रु० 1.15 लाख बोली बढ़ाने की राशि रु० 15,000/-
2	मे. मिश्रा फर्नीचर हाउस, प्रोप.- अवधेश कुमार मिश्रा, ग्राम- चिलबिली, पोस्ट- किटियावां, तहसील- गौरीगंज जनपद- अमेठी [शाखा-कौहार]	प्लॉट न. 596, क्षेत्रफल- 400 वर्गफिट (20 X 20) ग्राम- चिलबिली, पोस्ट- किटियावां, तहसील- गौरीगंज, जनपद- अमेठी स्वामित्व - श्रीमती शुभद्रा देवी पत्नी अवधेश कुमार मिश्रा, चौहद्दी: उत्तर-ममता देवी की कृषि भूमि, दक्षिण- फूलकली की कृषि भूमि पूर्व- गौरीगंज मुसाफिरखाना रोड, पश्चिम- राम किशोर की कृषि भूमि	रु. 2,33,913.00/- + ब्याज व अन्य खर्चें {(-) रु. 1,13,000/- मांग सूचना के बाद जमा राशि} (अधिग्रहण प्रकार- सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य रु० 4.43 लाख अग्रिम राशि, रु० 0.45 लाख बोली बढ़ाने की राशि रु० 15,000/-
3	मे. वैष्णवी ट्रेडर्स, प्रोप.- प्रदीप कुमार दूबे पुत्र- अम्बिका प्रसाद दूबे, ग्राम- पूरे निहाल दूबे, पोस्ट- अढ़नपुर, जनपद- अमेठी [शाखा- नारा अढ़नपुर]	प्लॉट संख्या.3552, क्षेत्रफल- 0.0240 हे.(240 वर्गमीटर) सेल डीड नं-3002 दिनांकित 06.06.2014 स्थित ग्राम- नारा अढ़नपुर, परगना व तहसील- मुसाफिरखाना, जनपद- अमेठी स्वामित्व- स्व. जितेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री गंगा बक्श सिंह चौहद्दी: उत्तर- मुशताक का चक, दक्षिण- भूमि क्रेता पूर्व- चक रोड (परती भूमि पर), पश्चिम- सिराज का चक	रु. 3,08,305.00/- + ब्याज व अन्य खर्चें (अधिग्रहण प्रकार- सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य रु० 3.15 लाख अग्रिम राशि, रु० 0.32 लाख बोली बढ़ाने की राशि रु० 15,000/-
4	श्री ललित कुमार चौबे पुत्र श्री ओम प्रकाश चौबे	प्लॉट संख्या.3546, क्षेत्रफल- 0.0630 हे.(630 वर्गमीटर) सेल डीड नं-2643 दिनांक 14.08.2001 स्थित ग्राम- नारा	रु. 5,73,888.00/- + ब्याज व अन्य खर्चें	आरक्षित मूल्य रु० 2.25 लाख

	निवासी ग्राम व पोस्ट- थौरी, मुसाफिरखाना, जनपद- अमेठी [शाखा- रानीगंज]	अढनपुर, परगना व तहसील- मुसाफिरखाना, जनपद- अमेठी स्वामित्व – स्व. जितेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री गंगा बक्श सिंह <b>चौहद्दी:</b> उत्तर- घर आबिद अली, दक्षिण- रोड नारा से नौगेरे पूर्व- खडंजा रोड, पश्चिम- प्लाट सं. 3546 का हिस्सा	{(-) रू. 11,400.39/- मांग सूचना के बाद जमा राशि} (अधिग्रहण प्रकार- सांकेतिक)	अग्रिम राशि, रु० 0.23 लाख बोली बढ़ाने की राशि रु० 15,000/-
5	मे. मुकेश ओर्नामेंट हाउस प्रोप. मुकेश अग्रहरि पुत्र स्व. तुलसी राम, निवासी नगेशरगंज, पोस्ट- मुसाफिरखाना, जनपद- अमेठी [शाखा- मुसाफिरखाना]	प्लाट संख्या.816, क्षेत्रफल- 18x80 फिट= 1440 वर्गफिट (133.82 वर्गमीटर) सेल डीड नं- 1191/12 स्थित ग्राम- पलिया पूरब, पोस्ट- मुसाफिरखाना, जनपद- अमेठी स्वामित्व – श्री मुकेश अग्रहरि पुत्र स्व. तुलसी राम <b>चौहद्दी:</b> उत्तर- प्रस्तावित रास्ता 10 फिट, दक्षिण- भूमि विक्रेता पूर्व- विक्रेता का प्लाट, पश्चिम- श्यामा देवी का प्लाट	रू. 21,24,031.31/- + ब्याज व अन्य खर्च (अधिग्रहण प्रकार- सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य रु० 23.09 लाख अग्रिम राशि, रु० 2.31 लाख बोली बढ़ाने की राशि रु० 15,000/-
6	श्री सुशील कुमार तिवारी पुत्र हनुमान प्रसाद, निवासी ग्राम- मंगौली, पोस्ट- जगदीशपुर, जनपद- अमेठी [शाखा- गूंगेमऊ]	प्लाट नं. 284, एरिया- 0.017 हे., सेल डीड नं-1465/11 प्लाट नं. 285, एरिया- 0.039 हे., सेल डीड नं-1463/12 स्थित ग्राम- मंगौली, पोस्ट- जगदीशपुर, जनपद- अमेठी स्वामित्व- श्री सुशील कुमार तिवारी पुत्र हनुमान प्रसाद <b>चौहद्दी:</b> प्लाट संख्या 284 उत्तर- चक मार्ग, दक्षिण- हनुमान प्रसाद का प्लाट पूर्व- भूमि ग्राम समाज, पश्चिम- हनुमान प्रसाद का प्लाट <b>चौहद्दी:</b> प्लाट संख्या 285 उत्तर- हनुमान प्रसाद का प्लाट, दक्षिण- हनुमान प्रसाद का बाग पूर्व- स्वयं का प्लाट, पश्चिम- भूमि ग्राम समाज	रू. 6,85,124.00/- + ब्याज व अन्य खर्च {(-) रू. 10000.00/- मांग सूचना के बाद जमा राशि} (अधिग्रहण प्रकार- सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य रु० 4.05 लाख अग्रिम राशि, रु० 0.41 लाख बोली बढ़ाने की राशि रु० 15,000/-
7	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री गया प्रसाद व श्री गया प्रसाद पुत्र श्री भुलाई, ग्राम दयालपुर, पोस्ट- गौरीगंज, जनपद – अमेठी [शाखा- गौरीगंज]	खसरा न. 458 में से अकृषक घोषित भाग, क्षेत्रफल- 4153.30 वर्ग फिट ( 82 फिट X 50.65 फिट) स्थित – ग्राम – बिसुनदासपुर, पोस्ट – गौरीगंज , तहसील- गौरीगंज , जनपद- अमेठी स्वामित्व – श्री रमेश चन्द्र , श्री सुरेश चन्द्र व मनोज कुमार पुत्रगण गया प्रसाद <b>चौहद्दी:</b> उत्तर- रज्जन की कृषि भूमि, दक्षिण- रोड पूर्व- जग प्रसाद की कृषि भूमि, पश्चिम- राम फेर की कृषि भूमि	रू.30,80,758.58/- + ब्याज व अन्य खर्च {(-) रू. 2000.00/- मांग सूचना के बाद जमा राशि} (अधिग्रहण प्रकार- सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य रु० 21.88 लाख अग्रिम राशि, रु० 2.19 लाख बोली बढ़ाने की राशि रु० 20,000/-
8	में. टी.आर.ए. इंटरप्राइसेस प्रोप. श्रीमती श्यामा देवी अग्रहरि पत्नी तुलसीराम निवासी- नगेशरगंज, मुसाफिरखाना, जनपद- अमेठी [शाखा- मुसाफिरखाना]	प्लाट नं.508, क्षेत्रफल- 0.0630 हेक्टेयर सेल डीड नं- 3471 दिनांकित 28.06.2014 एवं 4635 दिनांकित 25.08.2014 स्थित नगेशरगंज, मुसाफिरखाना, जनपद- अमेठी स्वामित्व – श्रीमती श्यामा देवी अग्रहरि पत्नी तुलसीराम <b>चौहद्दी:</b> उत्तर- कृष्ण कुमार सिंह का प्लाट, दक्षिण- ग्राम सभा की भूमि पूर्व- मुसाफिरखाना गौरीगंज रोड, पश्चिम- कपूरचंद रोड	रू. 15,61,549.82/- + ब्याज व अन्य खर्च {(-) रू. 44,277.00/- मांग सूचना के बाद जमा राशि} (अधिग्रहण प्रकार- सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य रु० 13.50 लाख अग्रिम राशि, रु० 1.35 लाख बोली बढ़ाने की राशि रु० 15,000/-

**विक्रय के नियम एवं शर्तें-** 1. इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा बंद लिफाफे में (जिसके ऊपर बिड क्रम संख्या तथा प्रकाशन का दिनांक अंकित हो) देना है. 2. निविदा प्रस्तुतकर्ता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत (धरोहर राशि) अग्रिम रूप से बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू.पी. बैंक के नाम देय हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करें. अधिकतम नीलामी धनराशि (जो आरक्षित मूल्य से कम न हो) वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित करते हुए असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी. 3. सफल निविदाकर्ता को निविदा राशि का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि शामिल करते हुए) उसी दिन अथवा अधिकतम अगले बैंक कार्यदिवस तक बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा तथा खरीद राशि का शेष 75 प्रतिशत का भुगतान उनको बिक्री के लिए स्वीकृति / पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक दशा में जमा करना होगा. यदि सफल निविदाकर्ता शेष राशि निर्धारित

अवधि में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी समस्त राशियाँ जब्त कर ली जायेंगी. 4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये अथवा बिना पूर्व सूचना के सबसे ऊँची /समस्त निविदा को स्वीकार / अस्वीकार /स्थगित /निरस्त करने का अधिकार है. प्राधिकृत अधिकारी नीलामी की तिथि को आगे बढ़ा सकता है. 5. प्राधिकृत अधिकारी विक्रय सम्पत्ति से सम्बंधित किसी चार्ज, लियन, इन्काम्बरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, सरकारी ड्यूज, अन्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा. प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय /अन्य पक्ष कार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा. 6. सम्पत्ति उसके आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी. सफल निविदाकर्ता सभी स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि का वहन स्वयं करेगा. 7. यदि दो या दो से अधिक निविदा एक धनराशि की आती हैं तो प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उनके बीच आपस में पुनः बिडिंग करा ले. 8. निविदा /बिक्रय बैंक के द्वारा पुष्टि होने के अधीन होगा. सम्पत्ति की नीलामी "जो है जैसी है " तथा "जहाँ है जैसी है" के आधार पर की जायेगी. 9. यदि कोई ऋणी / जमानतदार नीलामी की तिथि के पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है तो उसकी सम्पत्ति की नीलामी रोक दी जायेगी. इस प्रकार Security Interest Enforcement Rules, 2002 {By the Security Interest (Enforcement) Amendment Rules, 2002} धारा 13 की उपधारा (8) के अन्तर्गत ऋणी / जमानतदार को नीलामी तिथि से पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देने की दशा में बंधक प्रतिभूति आस्ति को उन्मोचित कराने सम्बन्धी सभी अवसर उपलब्ध हैं. 10. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें, सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु सम्बंधित शाखा से पहले से समय लेकर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 02.00 बजे से 05.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं. 11. यह सेल नोटिस ऋण कर्ता(ओं)/गारन्टी कर्ता(ओं) के लिये विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिये सामान्यतया रूप से है. 12. विस्तृत जानकारी/विवरण हेतु बैंक की वेबसाइट <https://www.barodagraminbank.com/sarfaesinotice.php> पर उपलब्ध है।

**सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना**

उपरोक्त ऋण ग्रहीता /जमानतदारों / विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस दी जाती कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को कर दें, इसमें असफल रहने पर बन्धक सम्पत्ति की नीलामी नियत तिथि को कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली आपसे ब्याज व लागत सहित की जायेगी.

दिनांक 20.09.2024  
स्थान – गौरीगंज, अमेठी

प्राधिकृत अधिकारी  
बड़ौदा यू.पी. बैंक